खेल एवम् युवक कल्याण विभाग जिला छतरपुर (म0प्र0)

सूचना के अधिकार

बिन्दु क्रमांक–1–

खेल एवम् युवक कल्याण विभाग की संरचना

खेल और युवक कल्याण की गतिविधियां दिनांक 1.10.1975 के पूर्व शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय के अन्तर्गत संचालित की जाती है ।

दिनांक 1.10.1975 से खेल और युवक कल्याण की गतिविधियों के लिये एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया गया जो राज्य स्तर पर इन गतिविधियों का संचालन कर रहा है । खेल और युवक कल्याण संचालनालय की क्षेत्रीय गतिविधियां मार्च 1990 तक पंचायत एवं समाज सेवा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में संचालित रहीं । मार्च 1990 के पश्चात् इन गतिविधियों के संचालन का दायित्व जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षकों के प्रशासकीय नियंत्रण में संचालित है ।

खेल एवं युवक कल्याण के स्वतंत्र कार्यालयों की स्थापना की दृष्टि से प्रयास कर चार क्षेत्रीय खेल ओर युवक कल्याण अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौरा, जबलपुर एवं ग्वालियर में सृजित किये गये तथा सात संभागीय मुख्यालयों हेतु 7 संभागीय खेल और युवक कल्याण अधिकारी (तृतीय श्रेणी) के पद सृजित कर उन्हें कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण के अधिकार प्रदान किये गये है ।

इसी बीच सरकार ने द्विस्तरीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत राज्य स्तर एवं जिला सरकार की अवधारण के अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं संभागीय कार्यालयों को समाप्त करने का निर्णय लिया । कई जिले नये बने छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ एवं उत्तरवर्ती म0प्र0 में भी नये जिले बने परन्तु खेल और युवक कल्याण की संरचना में जो पूर्व में 45 जिले व 9 संभागों के मान से जो प्रशासन तंत्र कठित मितव्ययिता से स्थापित हुआ था उसमें कोई वृद्धि नहीं हो पाई है । जबकि छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में जो अमला छत्तीसगढ़ राज्य को चला गया उसके बाद बिना किसी प्रशसनिक अमले में बृद्धि के किसी दैनान्दिन कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है ।

जिला स्तर के नीचे कोई अमला न तो स्वीकृत है और न ही कोई कार्यालय संचालित है । जिला स्तरीय पदों की जानकारी निम्नवत् है :–

1	जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी	1 पद	तृतीय श्रेणी
2	सहायक ग्रेड–3	1 पद	तृतीय श्रेणी
3	भृत्य	1 पद	चतुर्थ श्रेणी

तहसील विकास खण्ड एवं नगर अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर विभाग का कोई कार्यालय अथवा कर्मचारी कार्यरत् नहीं है ।

खेल और युवक कल्याण विभाग के कार्य–कर्तव्य :–

खेल और युवक कल्याण विभाग व्दारा इस जिले में खेल एवं युवक कल्याण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये मुख्य रूप से निम्न गतिविधियां संचालित की जाती है ।

(क) खेल गतिविधियां–

1– खेल मैदानों एवं अन्य खेल सुविधाओं के विकास /सुधार के लिये आर्थिक सहायता
2– सक्रिय खेल संस्थाओं व्दारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिये आर्थिक सहायता
3– उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये खेल वृत्ति
4– ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
5– महिला खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन
6– ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
7– खेल सामग्री का क्रय

(ख) युवक कल्याण एवं साहसिक खेलों की गतिविधियां–

1– युवा संधि की गतिविधियों के लिये अनुदान–

– अन्तर ग्राम पंचायत , अन्तर थाना, अन्तर्जिला स्तर पर चुने हुये खेलों की अभिनव ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

– राष्ट्रीय युवा पुरूस्कार हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण , परीक्षण एवं अनुशंसा

– युवा उत्सव का आयोजन

2– अभियान संस्थान को साहसिक गतिविधियों के आयोजन हेतु अनुदान–

– जिले में साहसिक गतिविधियों का आयोजन

सूचना के अधिकार

बिन्दु कमांक–2

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार

खेल एवं युवक कल्याण के अन्तर्गत जो प्रशासन तंत्र कार्यरत् है उन्हें जो अधिकार प्रदत्त है उनका पदवार विवरण निम्नवत् है ।

1– जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी–	यह पद तृतीय श्रेणी कर्मचारी का है ,इन्हें कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है ।
2– सहायक ग्रेड–3	यह पद तृतीय श्रेणी कर्मचारी का है इन्हें कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है ।
3– भृत्य–	यह पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इन्हें कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है ।

सूचना के अधिकारी

बिन्दु कमांक–3

निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रकिया

खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यो का उल्लेख बिन्दु –1 में किया गया है । उन योजनाओं के कियान्वयन के लिये निर्णय लेने हेतु प्रकिया निर्धारित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1– खेल मैदानों एवं अन्य खेल सुविधाओं के विकास / सुधार हेतु जिलों को उपलब्ध कराये गये बजट के अन्तर्गत जिले की उत्तरदायी संस्थाओं को जिनके पास निर्मित होने वाली अधोसंरचना के लिये आवश्यक निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो, और लगने वाली कुल लागतका50 प्रतिशतभाग उत्तरदायी संस्था पहले वहने करने को तैयार हो, उन्हे उपलब्ध वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है ।

2– सकिय खेल संस्थाओ द्वारा आयोजित विभिन्न खेलों की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिये इस हेतु बनाये गये नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रथम आवे, प्रथम पावे के आधार पर आबंटित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है ।

3– प्रदेश के ऐसे खिलाडियों को प्रोत्साहित करने हेतु जिन्होने राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित किया हो, उन्हें व्यक्तिगत विधाओं से रू0 2000/– एवं दलीय विधाओं में सम्मिलित खिलाडियों को रू0 500/– के मान से खेलवृत्ति स्वीकृत की जाती है ।

4– ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता भारत सरकार की योजना है, इसमें 16 वर्ष तक की आयु के ग्रामीण खिलाडी भाग लेते हैं , इसका आयोजन विकास खण्ड , जिला , संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाता है, हर स्तर पर दल चयन हेतु , चयन समिति गठित की जाती है , जिनके चयन हेतु अनुशंसित खिलाडियों को ही उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की पात्रता होती है ।

5– ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता की ही भांति, भारत सरकार की योजनान्तर्गत महिला खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है , इसमें आयु एवं ग्रामीण क्षेत्र, निवास जैसा कोई बंधन नहीं रहता है, यह प्रतियोगिता मात्र महिलाओं के लिये आयोजित होती है ।

6– ग्रीष्मावकाश का सद्पयोग खेलों के लिये हो, इस दृष्टि से आवययक मैदान , खेल सामग्री, योग्य प्रशिक्षक उपलब्धता के अनुसार 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते है , इस हेतु शासन से आबंटन उपलब्ध कराया जाता है ।

7— प्रचलित खेलों के लिये खेल सामग्री की व्ययवस्था हेतु शासन से जो आबंटन प्राप्त होता है उससे भण्डार क्रय नियमों के अनुसार आवश्यक के अनुसार खेल सामग्री का क्रय किया जाता है ।

युवा संधि की गतिविधियां

1— ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति अभिरूचि जागृत करने व इससे अधिक से अधिक युवाओं को जोडने के लिये कुछ चयनित लोक प्रिय खेलों की अन्तर ग्राम (थाना स्तरीय) अन्तर थाना (जिला स्तरीय) आयोजन किया जाता है इस हेतु शासन से आबंटन राशि उपलब्ध कराई जाती है । विगत दो वर्षो में इस कार्याक्रम के आयोजन से खेलों का स्वस्थ्य वातावरण संपूर्ण राज्य में विकसित हुआ है । इस हेतु नियम निर्देश व आयोजन संबंधी कार्यक्रम संचालनालय स्तर से जारी किये जाते है । जिसके अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जाते है ।

2— विकास खण्ड ,जिलास्तर पर युवा उत्सव का आयोजन निर्धारित 18 विधाओं में किया जाता है इस हेतु राशि युवा संधि द्वारा आबंटित की जाती है । कलाकारों के चयन हेतु एक चयन समिति गठित की जाती है तदनुसार चयनित दल उच्च स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजें जाते है ।

अभियान की गतिविधियां

जिला स्तर पर साहसिक गतिविधिओं के आयोजन हेतु राशि संचालनालय स्तर से प्राप्त होती है इस राशि का उपयोग जिले में साहसिक गतिविधियों के लिये उपलब्ध अधोसंरचना को दृष्टि गत रखते हुये आयोजन में किया जाता है । जिसमें ट्रेकिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाते है ।

निगरानी संबंधी ढांचा

खेल और युवक कल्याण विभाग का निगरानी संबंधी ढांचा स्वीकृत नहीं है जिले में जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी पदस्थ है जो पुलिस अधीक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत हैं । जिला कलैक्टर भी विभागीय गतिविधियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हैं । जिला स्तर पर खेल एवं युवक कल्याण सलाहकार समिति गठित की गई है । निरीक्षण रोस्टर के अन्तर्गत विभागीय अधिकारी भी इनकी गतिविधियों पर देख'रेख करते है । इन अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन पूलिस अधीक्षक एवं कलैक्टर द्वारा अंकित किये जाते हैं जिससे इन पर पर्याप्त नियंत्रण बना रहता है । निगरानी संबंधी कोई ढांचा नहीं होने से उनकी जिम्मेदारियों का विवरण देने का कोई औचित्य नहीं है ।

सूचना के अधिकार
बिन्दु कमांक –4
कार्य निर्वहन में अपनायी जाने वाली प्रकिया

सूचना के अधिकार के तहत कार्य्र निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रकिया के तहत संचालनालय के निर्देशन व प्रशासन के अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली निम्नांकित योजनायें है :–

1– राज्य स्तरीय संघों तथा अन्य संस्थाओ को अनूदान
2– खिलाडियो को प्रोत्साहन
3– मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु अनुदान
4– ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता
5– महिला खेल कूद प्रतिोगिता
6– खिलाडियो को प्रशिक्षण
7– अभियान को अनुदान
8– युवा संधि को अनुदान
9– खेल परिषद को खेल सामग्री का कय

उपरोक्त योजनाओं मे से कमांक 1,2,3 राज्य स्तरीय संघों तथा अन्य संस्थओं को अनुदान , खिलाडियों को प्रोत्साहन , मूल भूत सुविधाओं केविकास सुधार हेतु अनुदान , योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के कार्य निर्वाहन हेतु विभागी नियम बने हें इसके आधार पर प्रकरणो का निराकरण किया जाता है ।

ग्रामीण तथा महिला खेल कूद प्रतियोगिताओं के लिये भारतीय खेल प्राधिकरण से समय–समय पर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं अतः उस अनुरूप इन प्रतियोगिताओं का आयोजन संपन्न किया जाता है ।

खिलाडियों को प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म कालीन अवकाश में विभिन्न खेल विधाओं में जिला स्तर पर 15 मई से 14 जून के मध्य एक माह का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है जिसमें जिले के खिलाडी लाभन्वित होते है । इस प्रशिक्षण शिविर के लिये आवश्यक दिशा निर्देश संचालनालय द्वारा जारी किये जाते है ।

अभियान एवं युवा संधि कोअनुदान योजनाओं के लिये विभाग के अन्तर्गत दो पंजीकृत संस्थाये संचालित है अभियान के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियां साहसिक गतिविधियों की श्रेणी में तथा युवा संधि की गतिविधियां युवा कल्याण की श्रेणी से संबंधित है ।

खेल परिषद को खेल सामग्री का कय योजनान्तर्गत जिले में खेल गतिविधियों के लिये आवश्यक खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ।

सूचना के अधिकार

बिन्दु कमांक –5

नियम अधिनियम, दिशा निर्देश मैनुअल एवं रिकार्ड जो कर्मचारियों एवं अधिकारियो द्वारा कार्य संपादित किया जाता है

खेल एवं युवक कल्याण विभाग में अधिकारियों – कर्मचारियों के लिये अभी तक कोई विभागीय मेनुअल तैयार नहीं किया गया है । अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दैनन्दिन कार्यो के निराकरण के लिये विभन्न विल्भागीय योजनाओं को दिशानिर्देशों के तहत कार्यवाही की जाती है ।

विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्य / कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश / नियम (राज पत्रित में प्रकाशित) की जानकारी निम्नानुसार है ।

1– अधोसंरचना संबंधी निर्देश

2– संघ संस्थाओ को अनुदान नियम

3– ग्रामीण खेल कूद प्रतियेागिता संबधी निर्देश

4– महिला खेलकूद प्रतियोगिता संबंधी निर्देश

5– खेल वृत्ति संबंधी नियम

6– ग्रामीण खेल (युवा अभियान) के निर्देश

7– राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सबंधी निर्देश

8– युवा उत्सव संबंधी निर्देश

सूचना के अधिकार

बिन्दु क्रमांक – 6

कर्मचारी / अधिकारी के नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजो का विवरण

कर्मचारियों/अधिकारियो के नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों के विवरण संबंध में उल्लेखनीय है कि विभागीय गतिविधयों के संचालन एवं स्थापना, लेखा एवं बजट संबंधी दस्तावेज जिले में पदस्थ विभागीय अमले द्वारा ही किया जाता है ।

जिला स्तर पर

दस्तावेजो का संधारण	प्रथम नियंत्रणकर्ता अधिकारी	द्वितीय नियंत्रणकर्ता अधिकारी
पदस्थ लिपिक	जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी	जिला पुलिस अधीक्षक

सूचना के अधिक
बिन्दु क्रमांक – 7

संचालनालय आदेश क्रमांक 960 खे,यु,क, भोपाल दिनांक 9–8–05 के पालन में बिन्दुवार जानकारी निम्नानु सार प्रस्तुत है

नीति निर्धारण में विषय वस्तु से संबधित विशेषज्ञों , समीक्षकों एवं संबंधित व्यक्तियों को रखा जाता है ।

उदाहरण के लिये खेल एवं युवक कल्याण विभाग में खेल नीति बनाते समय उसमें खेल विशेषज्ञों / प्रशासकों, समीक्षको के साथ–साथ दो खेल के उत्कृष्ट खिलाडियों को नीति निर्धारण समिति में रखा गया था ।

नीति निर्धारण के उपरान्त उसके क्रियान्वयन हेतु पृथक स सबंधितों की समिति गठित कर नियम आदि बनाये जाते है। नीति के क्रियान्वयन में यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता हो ।

सूचना के अधिकार

बिन्दु कमांक – 8

जिले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अन्तर्गत खेल के विकास एवं उन्नति हेतु कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को सम्मिलित करते हुये जिला खेल एवं युवक कल्याण सलाह कार समिति कार्यरत है ।

आयोजन संबधी जानकारी समय–समय पर पत्रकारों को उपलब्ध कराई जाती है । तदनुपरान्त वह दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उसका व्यापक प्रचार प्रसार कर आम जनता के लिये जानकारी उपलब्ध कराते है ं।

सूचना के अधिकार

बिन्दु कमांक – 9

विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम पते एव दूरभाष कमांक

कं0	नाम	पद	दूरभाष कमांक	पता
1–	श्री प्रदीप अविद्रा	जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी	मो0 94251 – 44413	एन0जी0ओ0– 3 क्वार्टर पुलिस लाईन छतरपुर
2–	श्री आनन्द कुमार खरे	सहायक ग्रेड तीन	नि0 241038	चैतगिरी कालोनी फौलादी कलम मार्ग छतरपुर
3–	श्री किशोरी लाल सेन	भृत्य	नि0 247648	सिचाई कालोनी सरस्वती स्कूल के पास छतरपुर

सूचना के अधिकार
बिन्दु क्रमांक – 10

अधिकारियो एव कर्मचारियो का मासिक वेतन Compensation प्रक्रिया तथा नियम

खेल और युवक कल्याण विभाग के अधिकारियो / कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत वेतन भत्तों का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कोषालय से आहरित कर किया जाता है ।

विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये मानदेय दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अतः इस संबंध में नियम तथा प्रकिया की जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता ।

सूचना के अधिकार
बिन्दु क्रमांक – 11

विभाग के लिये बजट प्रावधान का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाता है तथा आयोजना सीमा म0प्र0 राज्य योजना मण्डल द्वारा निर्धारित की जाती है ।

सर्व प्रथम राज्य योजना मंडल द्वारा विभाग की शिखर सीमा निर्धारित की जाती हे उसके पश्चात उस सीमा में योजना प्रस्ताव तैयार कर जिला योजना को भेजा जाता है ।

1– खेल गतिविधियां :–

जिला योजना के तहत निम्नानुसार योजना रखी गई है :–

जिला योजना –

1– खिलाडियो को प्रशिक्षण
2– खेल परिषद को खेल सामग्री का क्रय

जिला/ राज्य योजना –

1– ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता
2– महिला खेल कूद प्रतियोगिता
3– संघ संस्थाओं को अनुदान

4– युवा संधि को अनुदान
5– अभियान को अनुदान

जिला /राज्य / केन्द्र प्रवर्तित योजना –

1– मूल भूत सुविधाओं का विकास सुधार हेतु स्टेडियम आदि ।

योजनाओं का क्रियान्वयन –

1– जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली योजनाओ का क्रियान्वयन जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी / पुलिस अधीक्षक के माध्यम से किया जाता है जिसके लिये राज्य योजना मंडल द्वारा जिला समितियों को जिले के लिये शिखर सीमा का निर्धारण कर उक्तानुसार प्रस्ताव तैयार राज्य योजा मंडल में प्रत्येक जिले वार बैठक का आयोजन करने के पश्चात कलैक्टर से चर्चा उपरान्त विभाग वार राशि का निर्धारण किया जाता है ।

व्यय का सीमांकन –

योजनावार राशि व्यय के लिये विभाग का जिले में स्वतन्त्र कार्यालय न होने से जिले के पुलिस अधीक्षक को आहरण संबितरण अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनके माध्यम से राशि व्यय की जाती है ।

वर्ष 2005–06 में योजना वार बजट प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्रमांक	**योजना का नाम**	**बजट आबंटन**
1–	खिलडियों को प्रशिक्षण	20,000/–
2–	ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता	10,000/–
3–	महिला खेल कूद प्रतियोगिता	10,000/–
4–	राज्य स्तरीय संघों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदान	25,000/–
5–	अभियान को अनुदान	5,000/–
6–	युवा संधि को अनुदान	15,000/–
7–	खेल परिषद को खेल सामग्री का क्रय	20,000/–
8–	खिलाडियों को प्रोत्साहन	15,000/–
9–	मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु स्टेडियम आदि	1,25,000/–

सूचना के अधिकार

विन्दु कमाक –12

खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा उत्तरदायी संस्थाओ को उनके द्वारा किये गये व्यय के अनुपात में समान अंशदान के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है विभाग द्वाारा किसी भी योजना में कोई सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है । अतः सब्सिडी से संबंधित जानकारी देना आवश्यक नहीं है ।

सूचना के अधिकार
विन्दु कमाक –13

इस जिले मे खेल एवं युवक कल्याण विभाग की किसी भी प्रकार की अधोसंरचना स्टेडियम आदि उपलब्ध नहीं है जिससे किसी भी प्रकार की प्रतीकात्मक राशि खिलाडियों से नहीं ली जाती है ।

सूचना के अधिकार
विन्दु कमाक –14

खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा स्वयं की एक वेव साईट http;//mpsportsandyw.nic.in संचालनालय स्तर पर बनाई गयी है । जिला स्तर पर कोई भी वेव साईट नही है ।

सूचना के अधिकार
विन्दु कमाक –15

आम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु विभाग से संबधित समस्त योजनाओं की जानकारी एक सिटीजन चार्ट में प्रदर्शित की गई है जिसमें प्रत्येक योजना की समय सीमा के साथ साथ किसी प्रकार की शिकायत होने की दशा में संबंधितअधिकारी जो शिकायत का निपटारा करेगा का पदनाम भी अंकित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त विभाग की वेव साईट भी है जिसमें विभागीय संरचना एवं गतिविधियों की जानकारी आम जनता के लिये उपलब्ध रहती है ।